रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256571 CG-DL-E-22082024-256571

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3270]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946

No. 3270]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली. 22 अगस्त. 2024

का.आ. 3586(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयों ने आधार (वित्तीय और अन्य सहदायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्टिंग इकाइयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञात करती है. अर्थात :--

5373 GI/2024 (1)

सारणी

क्रम संख्यांक	इकाई का नाम
(1)	(2)
1.	गो-डिजिट लाईफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2.	एको लाईफ इंश्योरेंस लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/4/2019-ईएस सेल-डीओआर(भाग 2)]

रिमझिम पांडेय. अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2024

S.O. 3586(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government, on being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act) and that it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator, namely, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of Entity
1	Go-Digit Life Insurance Limited.
2	Acko Life Insurance Limited.

[F. No. P-12011/4/2019-ES Cell-DOR (Part-2)] RIMJHIM PANDEY, Under Secy.